भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

खेल विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 984

उत्तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2024

7 श्रावण, 1946 (शक)

खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष

984. श्री केसिनेनी शिवनाथ:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष से राज्य / संघ राज्यक्षेत्र -वार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश राज्य में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष के अंतर्गत निधियन प्राप्त करने वाली योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए खिलाड़ियों की राज्य-वार, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से कुल संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई पहल / कार्यकलाप किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष के कार्यान्वयन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): विगत पांच वर्षों के दौरान खिलाड़ियों को 'खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम' (खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण स्कीम की उप-स्कीम) के तहत उनकी संख्या सहित दी गई वित्तीय सहायता का आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट https://yas.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ): सरकार इस स्कीम के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न तरीकों यथा वेबसाइट, सोशल मीडिया, प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) आदि के माध्यम से प्रचार करती है।

(ङ) 'खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम' स्कीम आंध्र प्रदेश सहित संपूर्ण भारत के खिलाड़ियों के लिए कार्यान्वित की जा रही है। आंध्र प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

******